युवा संसद प्रतियोगिताएं

आयोजित करने के लिए

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए

वित्तीय सहायता योजना

संसदीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

2006

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मान्यताप्राप्त उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 'युवा संसद प्रतियोगिताओं' का आयोजन करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता योजना

.....

प्रस्तावना

शैक्षिक संस्थाओं में "युवा संसद" के आयोजन की परिकल्पना 1962 में बम्बई में आयोजित चौथे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन द्वारा की गई थी जिसने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिश की थी:-

> "यह समिति सिफारिश करती है कि सरकार को शैक्षिक संस्थाओं में और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा कृत्रिम संसद के आयोजनों को प्रोत्साहन देना चाहिए"

उपरोक्त सिफारिश को 1966 में बंगलौर में आयोजित पांचवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन द्वारा निम्नलिखित रूप में दोहराया गया:-

> "सम्मेलन ने अवलोकन किया कि बम्बई में आयोजित चौथे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन ने प्रतिनिधि संस्थाओं की महत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायतों में कृत्रिम संसद के आयोजन की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को कुछ राज्यों में क्रियान्वित नहीं किया गया है। सम्मेलन दोहराता है कि संबद्ध राज्य सरकारों से उनके निर्णय पर पुनर्विचार के लिए अनुनय करनी चाहिए"

उपरोक्त सिफारिशों के अनुसरण में, संसदीय कार्य मंत्रालय ने कृत्रिम संसद (अब युवा संसद) प्रतियोगिताओं की योजना विस्तृत रूप में तैयार की और दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रायोगिक आधार पर इसकी शुरूआत करने का निर्णय लिया। 1967 में शिमला में आयोजित छठे और 1969 में मद्रास में हुए सातवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों ने निम्नलिखित सिफारिशें की:-

"संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिल्ली के विद्यालयों में "युवा संसद" को प्रोत्साहन देने के कार्य की सराहना करते हुए सम्मेलन इस बात पर बल देते हुए सिफारिश करता है कि राज्यों को भी इस योजना को अपने-अपने राज्यों में चलाने की व्यवस्था करनी चाहिए (छठा अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन),"

"दिल्ली के विद्यालयों में 'कृत्रिम संसद' योजना के सफलतापूर्वक निष्पादन, प्रमुख संसदविदों, प्रेस और शिक्षाविदों से प्राप्त भारी प्रशंसा को ध्यान में रखते हुए तथा देश में मजबूत संसदीय प्रणाली के निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए सम्मेलन इस बात पर बल देते हुए सिफारिश करता है कि:-

(क) केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा अपनाए गए नमूने पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस योजना को अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए;

(ख) केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, इस योजना को आरम्भ करने में, सभी प्रकार की, वित्तीय सहायता देकर, यदि आवश्यक हो तो, प्रोत्साहन देना चाहिए; और

(ग) केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय को उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच, जिन्होंने इस योजना को कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया है, अंतर्राज्यीय प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाना चाहिए (सातवां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन)"

सातवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन द्वारा की गई उपरोक्त सिफारिश के भाग (ख) के अनुसरण में, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मान्यताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता की योजना तैयार की है।

1. **<u>योजना का उद्देश्य:-</u>** लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने, अनुशासन की स्वस्थ आदतों को मन में बैठाने, दूसरों के विचारों के प्रति उदारता और संसद के कार्यचालन के बारे में विद्यार्थी समुदाय को बेहतर जानकारी देने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली में मान्यताप्राप्त ऐसी शिक्षण संस्थाओं के लिए 'युवा संसद' की एक वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन करता आ रहा है, जो इसमें भाग लेना चाहते हों अथवा जिन्हें शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को मान्यताप्राप्त विद्यालयों में इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

2. **<u>योजना का प्रचालन</u>**:- योजना का प्रचालन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संसदीय कार्य विभाग द्वारा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा निदेशक/सार्वजनिक संस्था के सहयोग से किया जाएगा। उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में, जहां पर संसदीय कार्य विभाग नहीं है, योजना का प्रचालन प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा निदेशालय/सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किया जाएगा।

3. **<u>प्रतियोगिताओं में प्रवेश के लिए पात्रता</u>:-** इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मान्यताप्राप्त सभी उच्चतर माध्यमिक शैक्षिक संस्थाओं/उच्च विद्यालयों की पात्रता पर विचार किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय कार्य विभाग तथा शिक्षा निदेशालय/सार्वजनिक संस्थाओं, यथास्थिति, द्वारा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यालयों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।

4. **<u>अवधि जिसके दौरान युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी</u>**:- "युवा संसद" की प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता का विस्तृत कार्यक्रम संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संसदीय कार्य विभाग/शिक्षा निदेशालय/सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाएगा और इसे वार्षिक प्रतियोगिता में भाग लेने वाली संस्थाओं को परिचालित कर दिया जाएगा और उसकी सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भी दी जाएगी।

5. **<u>युवा संसद में प्रतिभागियों की संख्या</u>**:- प्रत्येक विद्यालय में 'युवा संसद' के गठन के लिए विद्यार्थियों की संख्या सीमित नहीं होती है। तथापि, यह वांछनीय है कि बैठक की अवधि के संबंध में एक सीमा होनी चाहिए, इसका स्वाभाविक अभिप्राय यह होगा कि भाग लेने वाले बहुत से प्रतिभागियों की भूमिका सदन को चित्रित करने के लिए केवल बैठे रहने की होगी और उन्हें भाषण देने की आवश्यकता नहीं होगी।

6. **युवा संसद सत्र की अवधि**:- युवा संसद सत्र की अवधि एक घन्टे से अधिक की नहीं होनी चाहिए तथा इस समय में से लगभग 20 मिनट प्रश्न काल को दिए जाने चाहिए।

7. **युवा संसद की बैठकों में चर्चा हेतु विषय**:- प्रश्न और उत्तर तथा अन्य चर्चा के लिए किसी विशेष विषयों को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव नहीं है। फिर भी यह वांछनीय होगा कि युवा संसद में उठाए गए मामले कल्याणकारी कार्यकलाप, देश की रक्षा, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास, संप्रदायिक सद्भावना, स्वास्थ्य, विद्यार्थी अनुशासन आदि विषयों से संबंधित होने चाहिए।

8. **भाषा:-** प्रतियोगिता में भाग लेने वाले, हिंदी या अंग्रेजी या संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय कार्य विभाग/शिक्षा निदेशालय/सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा निर्दिष्ट प्रादेशिक भाषा में बोल सकते हैं।

9. **युवा संसद का स्थान:-** प्रत्येक संस्था युवा संसद की बैठक जहां तक संभव हो, अपने ही भवन अथवा अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर आयोजित करेगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली संस्थाओं को अपनी बैठकों के स्थान की सूचना के साथ-साथ चर्चा के विषयों के बारे में जानकारी, प्रतियोगिता की तारीख से दस दिन पहले, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय कार्य विभाग/शिक्षा निदेशालय/सार्वजनिक संस्थाओं को सूचित करना अपेक्षित होगा।

10. **पुरस्कार:-** निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे:-

(1) प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली संस्था के लिए शील्ड (संसदीय शील्ड)।
(2) प्रतियोगिता में योग्य अभिनय के लिए, योग्यता क्रम के आधार पर प्रथम पांच संस्थाओं के लिए ट्रॉफियां।
(3) प्रत्येक संस्था से कुछ चुने गए प्रतिभागियों के लिए मैडल/कप/पुस्तकों के रूप में व्यक्तिगत योग्यता पुरस्कार। पुरस्कारों की संख्या कुल मिलाकर 80 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(4) विविध व्यय

टिप्पणी:- संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का संसदीय कार्य विभाग/शिक्षा निदेशालय/सार्वजनिक संस्था उपरोक्त चार मदों में से प्रत्येक के व्यय को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार घटा-बढ़ा सकता है। तथापि, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रतिपूर्ति की जाने वाली अधिकतम धनराशि रु.2,00,000/- (रूपये दो लाख केवल) से अधिक नहीं होगी।

शील्ड एक रनिंग शील्ड होगी, जो प्रतियोगिता में प्रथम आने वाली संस्था द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए रखी जाएगी। तथापि, यदि कोई संस्था इस शील्ड को लगातार तीन वर्षों तक जीतती है तो यह शील्ड उस संस्था द्वारा स्थायी रूप से रखी जाएगी।

प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी संस्थाओं को प्रमाण पत्र, जैसा कि **अनुबंध-I** में दिया गया है, दिया जाए।

प्रतियोगिता में व्यक्तिगत योग्यता पुरस्कार पाने वाले सभी विद्यार्थियों को एक प्रमाण पत्र, जैसा कि **अनुबंध-I** में दिया गया है, प्रदान किया जाए।

11. <u>निर्णायकों की समितियां</u>:- अलग-अलग संस्थाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए निर्णायकों की समिति का गठन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय कार्य विभाग/शिक्षा निदेशालय/सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किया जाएगा और इसमें शिक्षाविदों/विधान सभा/परिषद के सदस्यों और संसदीय संस्थाओं का संचालन करने वाले अन्य व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय/सार्वजनिक संस्थाओं का एक अधिकारी इस समिति का पदेन सदस्य होगा।

12. <u>योग्यता सूची तैयार करने के लिए मापदंड</u>:- निर्णायकों की समिति संस्थाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान में रखेगी:-

		<u>अंक</u>
(1)	अनुशासन और शिष्टाचार	10
(2)	संसदीय प्रक्रिया का पालन	20
(3)	प्रश्नों और अनुपूरक प्रश्नों के लिए विषयों का चयन तथा उनके उत्तरों की गुणवत्ता	20
(4)	वाद-विवाद के लिए विषयों का चयन	10
(5)	दिए गए भाषणों की अदायगी और गुणवत्ता तथा वाद-विवाद का स्तर	30
(6)	कुल मिलाकर अभिनय का सामान्य मूल्यांकन	10

	कुल	100
		---

13. <u>पुन: प्रदर्शन</u>:- प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाली संस्था को पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर, जोकि प्रत्येक वर्ष की प्रतियोगिता की समाप्ति पर आोजित किया जाएगा, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय कार्य विभाग/शिक्षा निदेशालय/सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा निश्चित किए गए एक स्थान और तारीख को, पुन: प्रदर्शन करना अपेक्षित होगा।

14. <u>प्रतिवेदन</u>:- संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का संसदीय कार्य विभाग/शिक्षा निदेशालय/सार्वजनिक संस्था प्रतियोगिता की समाप्ति पर, **<u>अनुबंध-III पर दिए गए प्रोफार्मा में एक प्रतिवेदन</u>** तैयार करेगा जिसमें योग्यता क्रम के आधार पर प्रथम पांच विद्यालयों सहित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यालयों की संख्या, व्यक्तिगत योग्यता पुरस्कारों आदि की संख्या दी गई होगी। प्रतिवेदन में संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को प्रतिपूर्ति की धनराशि को स्पष्ट रूप से और अलग से दिखाया जाएगा। प्रतिवेदन पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में योजना के कार्यभारी विभाग के एक प्रतिनिधि, जिनका स्तर उप-सचिव के स्तर से छोटा न हो, द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। जिसके नाम चेक तैयार कराया जाना हो और लेखा शीर्ष आदि के बारे में पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से भेजी जाए।

प्रतिवेदन, निर्धारित प्रोफार्मा में योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के अनुरोध सहित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा जाना चाहिए।

15. <u>व्यय की प्रतिपूर्ति की सीमा</u>:- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति, प्रतिवेदन के आधार पर रू.2,00,000/- (रूपये दो लाख केवल) की सीमा तक, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाएगी।

****

अनुबंध-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार
संसदीय कार्य विभाग/नोडल कार्यालय/निदेशालय

"युवा संसद प्रतियोगिता"

यह प्रमाणित किया जाता है कि _____(विद्यालय का नाम)_____ने भारत सरकार, संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के तत्वावधान में वर्ष _____ में आयोजित 'युवा संसद' प्रतियोगिता में भाग लिया।

सक्षम प्राधिकारी
संसदीय कार्य विभाग/नोडल कार्यालय/निदेशालय

अनुबंध-II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार
संसदीय कार्य विभाग/नोडल कार्यालय/निदेशालय
....

"युवा संसद प्रतियोगिता"

यह प्रमाणित किया जाता है कि _____ के कक्षा _____ के विद्यार्थी _____को भारत सरकार, संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के तत्वावधान में वर्ष _____में आयोजित _____ युवा संसद प्रतियोगिता में उसके योग्य निष्पादन के लिए _____ पुरस्कार प्रदान किया गया।

सक्षम प्राधिकारी
संसदीय कार्य विभाग/नोडल कार्यालय/निदेशालय

अनुबंध-III

वर्ष ..... के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* सरकार द्वारा आयोजित युवा संसद प्रतियोगिता का प्रतिवेदन - वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध

1.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम:			
2.	वित्तीय वर्ष, जिसमें प्रतियोगिता आयोजित की गई तथा जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है:			
3.	विद्यालयों की संख्या, जिन्होंने युवा संसद प्रतियोगिता में भाग लिया:			
4.	विद्यार्थियों की कुल संख्या, जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया:			
5.	प्रतियोगिता में विद्यार्थियों द्वारा जीते गए व्यक्तिगत योग्यता पुरस्कारों की संख्या:			
6.	योग्यता क्रम में विद्यालयों के नाम पतों सहित, जिन्होंने राज्य स्तर पर प्रथम पांच स्थान प्राप्त किए:			
7.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा दावा की गई राशि			
	व्यय की मदें	खर्च की गई कुल राशि	दावा की गई राशि	संलग्न वाउचर का विवरण
	अभिविन्यास पाठ्यक्रम पर 1. 2. .			1. 2. . .
	युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित करने पर 1. 2. .			1. 2. . .
	पुरस्कार वितरण समारोह पर 1. 2. .			1. 2. . .
8.	अनुदेशों सहित विवरण, जिनके नाम चैक तैयार कराया जाना है, नाम/पता/टेलीफोन न. और लेखा शीर्ष सहित			

(नाम)
पदनाम
(कम से कम उप सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार
पता:
टेलीफोन न./ई-मेल आई.डी.

नोट:

अभिविन्यास पाठ्यक्रम से तात्पर्य है युवा संसद प्रतियोगिता के प्रभारी शिक्षकों/शिक्षा अधिकारियों के लाभार्थ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नोडल प्राधिकरण द्वारा संचालित एक पाठ्यक्रम। व्यय प्रतिभागियों को वितरित साहित्य/लेखन सामग्री के रूप में होना चाहिए।

युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित करने से तात्पर्य है प्रतियोगिता संचालित करने के लिए किया गया व्यय, जिसमें जलपान, भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए परिवहन व्यवस्था, पुरस्कार इत्यादि के लिए किया गया खर्च शामिल किया जाए।

पुरस्कार वितरण समारोह से तात्पर्य है राज्य स्तर के पुरस्कार विजेताओं इत्यादि को पुरस्कार/शील्ड प्रदान करने के लिए आयोजित एक समारोह, जिसमें सराहनीय विद्यालयों और विद्यार्थियों को पुस्तकों, स्मृतिचिह्न, प्रमाण-पत्रों, शील्डों इत्यादि के रूप में पुरस्कारों पर किया गया व्यय शामिल किया जाए।
(शिक्षकों/अधिकारियों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर हुए व्यय को प्रतिपूर्ति के लिए दावे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।)

*प्रतियोगिता के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए "राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का वित्तीय सहायता योजना" के पैरा 14 के अनुसार युवा संसद प्रतियोगिता की समाप्ति पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा भरा और भेजा जाना है।